सर्वोच्च प्राथमिकता
महत्वपूर्ण
संख्या– 1116 /60–3–2017–38(सा0)/2017

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 22 जून, 2017

विषयः–181–वूमेन हेल्पलाइन के माध्यम से समस्त जनपदों में रेस्क्यू वैन के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 181–महिला हेल्पलाईन के रूप में अनोखी पहल की गयी है। 181, एक टोल फ्री नम्बर है, जो 24×7 घण्टे कार्य करता है। महिला हेल्पलाईन पर कोई भी महिला एवं बालिका जो विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको किसी भी अन्य प्रकार की समस्या या आवश्यकता की पूर्ति हेतु सलाह अथवा सहायता की आवश्यकता हो, टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस हेल्पलाईन का केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर लखनऊ में संचालित है। विषम परिस्थिति से ग्रस्त महिला द्वारा कॉल करने पर कॉल सेन्टर की प्रशिक्षित टेली काउन्सलर्स द्वारा महिला को परामर्श दिया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त यदि महिला ऐसी परिस्थिति में है जिसमें तत्काल घटना स्थल पर पहुॅचकर उसे तत्काल सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है तो ऐसी परिस्थितियों में हेल्पलाईन के साथ सम्बद्ध जी0पी0एस0 सिस्टम युक्त रेस्क्यू वैन के माध्यम से 181 की टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुॅचकर सहायता प्रदान की जाती है। रेस्क्यू वैन में एक प्रशिक्षित महिला सुगमकर्ता के साथ महिला पुलिस आरक्षी तैनात रहती है, जिनके द्वारा महिलाओं को विषम परिस्थितियों से बचाने व प्रारम्भिक सहायता देने का कार्य किया जाता है।

3. वर्तमान समय में प्रदेश के 11 जनपदों में 181–महिला हेल्पलाईन व रेस्क्यू वैन संचालित है। मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिनांक 24.06.2017 को प्रदेश के शेष 64 जनपदों हेतु रेस्क्यू वैन सेवा का शुभारम्भ किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सेवा उपलब्ध होगी।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भित समस्त जनपदों में रेस्क्यू वैन सेवा के संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) **रेस्क्यू वैन का संचालन–** 11 जनपदों की भॉति रेस्क्यू वैन का संचालन शासनादेश संख्या–1286/60–3–2016–29 (सा0)/15, दिनांक 11.11.2016 के क्रम में उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित **जिला संचालन समिति** के माध्यम से किया जाना है। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं समिति के सदस्य–सचिव जिला परिवीक्षा अधिकारी है, जिनके दिशा निर्देशों पर जिला संचालन समिति की देख रेख में रेस्क्यू वैन सेवायें संचालित की जायेंगी।

(2) **रेस्क्यू वैन का कमाण्ड सेन्टर एवं पार्किंग स्थल–** वर्तमान में 11 आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्रों में रेस्क्यू वैन का कमाण्ड एवं पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। शेष 64 जनपदों में आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र के संचालन शुरू होने तक रेस्क्यू वैन को जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में कमाण्ड सेन्टर एवं पार्किंग स्थल सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) **रेस्क्यू ऑपरेशन टीम–** हिंसा से पीड़ित महिलाओं को केन्द्र तक लाने एवं रिपोर्टिंग पुलिस चौकी / संबंधित थाने को सुपुर्द करने हेतु 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता (3 शिफ्ट में), जी0वी0के0ईएम0आर0आई0 द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा उक्त सुगमकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

a. हिंसा से पीड़ित महिला को रेस्क्यू वैन के माध्यम से रेस्क्यू करके सुगमकर्ता द्वारा केन्द्र पर लाया जायेगा एवं उन्हें रिपोर्टिंग पुलिस चौकी / संबंधित थाने को हस्तांतरित किया जायेगा। इस हेतु 181– हेल्पलाइन में पृथक इन्ट्री रजिस्टर बनाये रखा जायेगा।

b. हस्तान्तरण करते समय उक्त महिला से सम्बन्धित प्राप्त विवरणों को संलग्न प्रपत्र में भरकर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी/संबंधित थाने से उसकी पावती अपने मासिक पत्रावली में संधारित करेंगे। (संलग्नक–1)

c. उक्त समस्त रेस्क्यू ऑपरेशन में निम्नलिखित रेस्क्यू टीम निर्धारित की गयी हैः–

i. यदि रेस्क्यू किसी हिंसा से पीड़ित महिला का किया जाना है ऐसी स्थिति में 181 महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता के साथ आच्छादित थाने/महिला थाने से महिला पुलिस दल के कम से कम दो सदस्य (शिफ्टवार) रेस्क्यू आपरेशन में सहयोग प्रदान करेंगे। इस बाबत जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक/पुलिस अधिक्षक अपने स्तर से समस्त क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्षों को संबंधित थाने में तैनात महिला पुलिस दल की रवानगी के निर्देश प्रदान करेंगे।

ii. यदि रेस्क्यू किसी दिवानी मामले से संबंधित अथवा घरेलू हिंसा का हो ऐसी स्थिति में 181 महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता के साथ दो महिला होमगार्ड (शिफ्टवार) अनिवार्य रूप से रवानगी करेंगे। इस बाबत जिलाधिकारी कम सें कम दो महिला होमगार्ड की तैनाती रेस्क्यू वैन में किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे।

(4) रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रकिया–

a. हिंसा से पीड़ित महिला/बच्चों के प्राथमिक उपचार/चिकित्सीय–विधिक रिपोर्ट (मेडिको लीगल रिपोर्ट), दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–164 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिलाने, बाल कल्याण समितियों के समक्ष प्रस्तुत करने तथा अल्पप्रवास/दीर्घ प्रवास हेतु आच्छादित जनपदों के अनुरूप महिला/बच्चों को पुनर्वासित किये जाने हेतु रेस्क्यू वैन का उपयोग किया जायेगा।

b. उक्त समस्त रेस्क्यू ऑपरेशन में 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता द्वारा महिला/बच्चों के साथ समस्त प्रक्रियाओं में सम्बद्ध रहेगी तथा विवरण की विस्तृत आख्या रजिस्टर पर संधारित करेंगी।

(5) 181 रैस्क्यू वैन का कार्यक्षेत्र एवं आवागमन–

i. रेस्क्यू वाहन जिला परिवीक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहेगा तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जनपद रहेगा।

ii. रेस्क्यू वाहन का आवागमन जी0पी0एस0 द्वारा मॉनीटर किया जायेगा जिसका लॉग जी0वी0के0ई0एम0आर0आई0 द्वारा मासिक रूप से निदेशक, महिला कल्याण एवं सम्बन्धित जिला परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

iii. रेस्क्यू वाहन की लॉग डायरी अन्दर ही रखी जायेगी, जो कि प्रत्येक सप्ताह जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकित की जायेगी एवं माह के अन्त में जी0पी0एस0 द्वारा मॉनीटर किये गये लॉग से मिलान कर संस्तुति की जायेगी।

iv. रेस्क्यू वाहन चालक एवं 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता किसी भी केस के लिए आवागमन पंजिका में इन्ट्री करके ही कमाण्ड सेन्टर से जायेगे।

v. रेस्क्यू वाहन में 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता के साथ एक महिला आरक्षी एवं एक होम गार्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु जायेगे।

vi. 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता एवं वाहन चालक अपनी विगत माह की अद्यतन आख्या एवं उपस्थिति पंजिका जिला परिवीक्षा अधिकारी से प्रमाणित एवं संस्तुति उपरान्त 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता को भुगतान हेतु प्रेषित किया जायेगा।

vii. 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता एवं वाहन चालक का मानदेय जिला परिवीक्षा अधिकारी की संस्तुति के बाद ही सम्बन्धित संस्था द्वारा देय होगा।

(6) 181 रैस्क्यू वैन द्वारा प्रचार–प्रसार–

a. महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा 181–महिला हेल्पलाईन रेस्क्यू वाहन के व्यापक उपयोग हेतु प्रत्येक माह में कम से कम 04 ब्लॉक में प्रचार–प्रसार हेतु परिक्रमा करेगी।

b. 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता एवं वाहन चालक द्वारा विभागीय योजनाओं तथा 181–महिला हेल्पलाइन की विशेषतायें तथा जन साधारण के उपयोगार्थ आई0ई0सी0

पोस्टर प्रेरणादायी फिल्में/संदेशों को अलग–अलग नुक्कड़ों पर रूक कर जानकारी प्रदान की जायेगी।

c. प्रत्येक ब्लॉक में प्रचार–प्रसार हेतु परिक्रमा/भ्रमण की रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता द्वारा प्रत्येक भ्रमण में निर्धारित कि0मी0 की संस्तुति हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(7) **181 रैस्क्यू वैन का अनुश्रवण**–

a. समस्त जनपदों में संचालित 181–महिला हेल्पलाइन सुगमकर्ता तथा रेस्क्यू वैन संचालन का मासिक पर्यवेक्षण जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, महिला कल्याण को मासिक आख्या प्रेषित करते हुये अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

b. रिपोर्ट हुये प्रकरणों का डाटा बेस तैयार करना एवं उसका अनुरक्षण करना निदेशक, महिला कल्याण का दायित्व होगा जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

तत्क्रम में उपरोक्तानुसार मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिनांक 24.06.2017 को प्रदेश के शेष 64 जनपदों हेतु रेस्क्यू वैन सेवा का शुभारम्भ 181–महिला हेल्पलाइन रेस्क्यू वैन के संचालन हेतु आवश्यक सेवाओं को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के लिये कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार) 22/6/17
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1116(1)/60–3–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) उ0प्र0 पुलिस।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन उ0प्र0 पुलिस।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज उ0प्र0 पुलिस।
8. समस्त जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सभी दिशा निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन करें।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी0वी0के0–ई0एम0आर0आई0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित जनपद के जिला परिवीक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

12. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।